

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2011—आश्विन 12, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-अधि-45-एफ-1-39-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका हरदा जिला-हरदा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1. जय प्रकाश नारायण वार्ड 2. चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 17. लाला लाजपतराय वार्ड 28. महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	25. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	08	6. शहीद भगतसिंह वार्ड 11. गणेश शंकर विद्यार्थी वार्ड 12. व्ही.व्ही. गिरी वार्ड 16. सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 18. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 20. स्वामी विवेकानंद वार्ड 22. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 29. डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02.	01. जय प्रकाश नारायण वार्ड 17. लाला लाजपतराय वार्ड
5	अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06. शहीद भगतसिंह वार्ड 11. गणेश शंकर विद्यार्थी वार्ड 16. सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 18. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	09	4. हनुमान वार्ड 8. बाबू जगजीवन राम वार्ड 13. राजीव गांधी वार्ड 19. महाराणा प्रताप वार्ड 21. संजय वार्ड 23. फकरुद्दीन अली अहमद वार्ड 24. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 26. देवी अहिल्या बाई वार्ड 30. रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ल, सचिव.